85

आयोजनागत
संख्याः 1839 /I(2)/2011-07(1)/119/2008

प्रेषक,

डा0 उमाकांत पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 13 सितम्बर, 2011

विषयः– **पी0एफ0सी0 से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूंजी दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र संख्या 386/जीएम(एफ)/पिटकुल/जीओयू, दिनांक 25.05.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एफ0सी0 से प्राप्त/प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूंजी के रुप में ₹ 10,00,00,000.00 (₹ दस करोड़ मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख ₹ में)

पी0एफ0सी0 से वित्त पोषित योजना	**अंशपूंजी के रुप में अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1– 400 के0वी0 पीपलकोटी–कर्णप्रयाग–श्रीनगर लाईन	1000.00
2– 220 के0वी0 जी0आई0एस0 उपसंस्थान, रुद्रपुर, 220 के0वी0 डबल सर्किट, रुद्रपुर (ब्रहमवारी) श्रीनगर लाईन एवं 220 के0वी0 रोशनाबाद–रुड़की लाईन	
योग	**1000.00**

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेषण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रुप में अंशपूंजी लगाई जायेगी उन योजनाओं की लागत के सापेक्ष यथा अनुमोदित अंशपूंजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2012 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– उक्त कार्यो हेतु अंशपूंजी की धनराशि तभी दी जायेगी, जब उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष पी0एफ0सी0 से ऋण प्राप्त कर लिया जायेगा तथा प्राप्त कुल धनराशि का (ऋण एवं अंशपूंजी की धनराशि) कम से कम 70 प्रतिशत धनराशि व्यय कर ली जाय।

.....2

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

6– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

7– योजनाओं में अंशपूंजी की धनराशि किसी भी स्थिति में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय नहीं की जायेगी। अंशपूंजी की धनराशि लम्बे समय तक अप्रयुक्त न रहे।

8– परियोजनाओं को कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–05–पारेषण एवं वितरण –आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–06–पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश–30–निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 428/XXVII(2)/2011, दिनांक 02 सितम्बर, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 उमाकांत पंवार)
सचिव

संख्याः 1839 /I(2)/2011-07(1)/119/2008, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
3– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8– नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
10– मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– विशेष सैल, ऊर्जा।
12– बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
13– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक– यथोक्त।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव